हरियाणा विधान सभा

चौदहवीं विधान सभा

बजट सत्र 2024

कार्य सूची

22 फरवरी 2024

1. प्रश्न।

(1) पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उत्तर दिए जाएंगे।

2. ध्यानाकर्षण सूचना ।

(1)

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-13	श्री चिरंजीव राव, एम.एल.ए. द्वारा रेवाड़ी एम्स के सम्बन्ध में दी गई सूचना।

(2)

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-21	1. श्री भारत भूषण बतरा, एम.एल.ए.; 2. श्रीमती गीता भुक्कल, एम.एल.ए.; 3. राव दान सिंह, एम.एल.ए.; 4. श्री आफताब अहमद, एम.एल.ए. द्वारा आयुष्मान भारत कार्ड के अंतर्गत ईलाज को लेकर हरियाणा राज्य के लोगों को हो रही अत्यधिक असुविधा के सम्बन्ध में दी गई सूचना।

3. 2023-2024 के लिए अनुपूरक अनुमान (तीसरी किस्त) तथा उन पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(1)

वित्त मंत्री	2023-2024 के लिए अनुपूरक अनुमान (तीसरी किस्त) प्रस्तुत करेंगे।

(2)

चेयरपर्सन,प्राक्कलन समिति	2023-2024 के लिए अनुपूरक अनुमान (तीसरी किस्त) पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

4. 2023-2024 के अनुपूरक अनुमान (तीसरी किस्त)।

(1)

1. राज्य केराजस्व पर प्रभारित व्ययके अनुमानों पर चर्चा।
2. अनुपूरक अनुदानोंकी मांगों पर चर्चातथा मतदान।

मांग संख्या 6	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो **राजस्व खर्च के लिए ₹1110,04,32,000/- से** अधिक न हो, मांग संख्या 6 -**वित्त तथा संस्थागत वित्त और ऋण नियंत्रण/आपूर्ति एवं निपटान/आयोजना तथा सांख्यिकी** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2023-24 (तीसरी किस्त) पृष्ठ संख्या 4-9
मांग संख्या 12	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो **राजस्व खर्च के लिए ₹1,00,000 से** अधिक न हो, **मांग संख्या 12 शिक्षा (माध्यमिक/ प्राथमिक) /उच्च शिक्षा (उच्च,तकनीकी, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी) / महिला एवं बाल विकास** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चा को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2023-24 (तीसरी किस्त) पृष्ठ संख्या 13-15

5. नियम 121के अधीन प्रस्ताव

(1)

एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231, 233, 235 तथा 266 के उपबंध जहां तक कि वे :- 1. लोक लेखा समिति ; 2. प्राक्कलन समिति ; 3. लोक उपक्रमों संबंधी समिति ; तथा 4. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति के गठन से संबंधित हैं, को वर्ष 2024-2025 के लिए निलंबित किया जाए।
यह भी प्रस्ताव करेंगे:-	"कि यह सदन, अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा को प्राधिकृत करता है कि वह सदन में विभिन्न दलों/ग्रुपों की अनुपातिक संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2024-2025 के लिए पूर्वोक्त समितियों के सदस्यों को नामज़द करें"।

6. मंत्रीमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

(1)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुडा,एम.एल.ए., डॉ० रघुवीर सिंह कादियान, एम.एल.ए., श्री जगबीर सिंह मलिक, एम.एल.ए., श्रीमती गीता भुक्कल, एम.एल.ए., श्री वरूण चौधरी, एम.एल.ए., श्री अमित सिहाग, एम.एल.ए., श्री मामन खान, एम.एल.ए., श्री सुरेन्द्र पंवार, एम.एल.ए., श्री बलबीर सिंह, एम.एल.ए., श्री इंदुराज, एम.एल.ए., श्रीमती शकुन्तला खटक, एम.एल.ए., श्री सुभाष गांगोली, एम.एल.ए., श्री जयवीर सिंह, एम.एल.ए., श्री चिरंजीव राव, एम.एल.ए., श्री मेवा सिंह, एम.एल.ए., श्री धर्म सिंह छौक्कर, एम.एल.ए., श्री बिशन लाल, एम.एल.ए., श्री शीशपाल सिंह, एम.एल.ए. श्री प्रदीप चौधरी, एम.एल.ए., श्री शमशेर सिंह गोगी, एम.एल.ए., श्री नीरज शर्मा, एम.एल.ए., श्रीमती रेणु बाला, एम.एल.ए., श्री राजेन्द्र सिंह जून, एम.एल.ए., राव दान सिंह, एम.एल.ए., श्री भारत भूषण बतरा, एम.एल.ए. तथा श्री आफताब अहमद, एम.एल.ए. द्वारा 20 फरवरी, 2024 को पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार के लिए निम्नलिखित शब्दों में ग्रहण किया:-

“हम, श्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले हरियाणा मंत्रीमंडल में अविश्वास व्यक्त करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं”।

7. विधायी कार्य

(1) (पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक)

(i)

हरियाणा अन्तरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण विधेयक, 2024.	एक मंत्री	हरियाणा अन्तरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

(2) (विचार तथा पारित किये जाने वाले विधेयक)

(i)

हरियाणा नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2024.	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा नगर पालिका (संशोधन)विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए;यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

(ii)

औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) (हरियाणा संशोधन) निरसन विधेयक, 2024.	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) (हरियाणा संशोधन) निरसन विधेयक पर तुरन्त विचारकियाजाए;यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित कियाजाए।

राजेन्द्र कुमार नांदल
सचिव
हरियाणा विधान सभा

Chandigarh-160001
दिनांकः२१ फरवरी २०२४